राज्य द्वारा एडीपीओ श्री प्रवीण सिकरवार।

आरोपी वेदराम, रामनाथ एवं नवलकिशोर द्वारा श्री अशोक पचौरी अधिवक्ता।

आरोपी रामचरन पूर्व से फरार घोषित, उसके विरूद्ध स्थाई वारंट जारी।

प्रकरण आज कमिटल तर्क हेत् नियत है।

अनुपस्थित आरोपीगण की आंज की अनुपस्थित क्षमा किये जाने का आवेदन उसके अधिवक्ता द्वारा पेश, विचारोपरान्त स्वीकार किया गया।

यह आदेश आरक्षी केंद्र मौ की ओर से प्रस्तुत अपराध कमांक 91/2012 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी भा.द.सं. के अभियोग पत्र के आधार पर अपराध के उपार्पण के सम्बन्ध में किया जा रहा है।

अभियुक्तगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी रामाबाई ने आरोपी रामनाथ, वेदराम एवं नवलिकशोर से विक्रय पत्र दिनांक : 01/07/2003 के माध्यम से ग्राम छरेंडा करवास स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 167, 169, 448, 449, 450, 454, 455, 494, 496, 501, 503, 950, 951, 952, 958, 964, 1131, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1255, 1256 एवं 1258 कुल क्षेत्रफल 5.24 हैक्टेयर में से विकेतागण / आरोपीगण रामनाथ, वेदराम एवं नवलिकशोर का हिस्सा 0.32 हैक्टेयर अर्थात् 1 बीघा 12 विश्वा भूमि क्रय की थी। ग्राम पंचायत करवास के टहराव प्रस्ताव क्रमांक 10, दिनांक : 03 / 03 / 2004 के माध्यम से परिवादी का उक्त क्रयशुदा भूमि पर नामान्तरण कर अमल करने का ठहराव पारित किया गया था, परन्तु आरोपी क्रमांक 04 तत्कालीन पटवारी मौजा छरेंठा रामचरन ने उक्त विकेतागण को लाभ पहुँचाने के आपराधिक आशय से कम उपजाउ भूमि के चार अन्य सर्वे क्रमांकों को मिलाकर उक्त ठहराव पर अमल करा लिया, जिसकी जानकारी रामचरन द्वारा परिवादी को नहीं दी गई। दिनांक : 14/04/2008 को विक्रेतागण एवं अन्य पक्षकारों की सहमति से फर्द बंटवारा बनाकर ग्राम पंचायत छरेंठा करवास से सहमति का बंटवारा करा लिया. जिसमें पटवारी मौजा ने पूर्व में किये गये ठहराव के अमल के पालन में 32 सर्वे क्रमांकों का फर्द बंटवारा बनाकर पेश किया, जिसमें कम उपजाउ भूमि के सर्वे क्रमांक परिवादी को प्रदान किये गये और इस प्रकार विकीत सर्वे क्रमांकों के स्थान पर अन्य कम उपजाउ सर्वे क्रमांक परिवादी को आरोपीगण / विकेतागण तथा तत्कालीन पटवारी रामचरन ने परिवादी के साथ छलकारित किया। जिसकी परिवादी द्वारा पुलिस अधिकारियों को भेजी जाने पर भी पुलिस अधिकारियों द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब परिवादी द्वारा धारा 420 भा.द.सं. के अन्तर्गत न्यायालय श्री केशव सिंह जे.एम.एफ.सी. गोहद के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिस पर साक्ष्य अंकित किये जाने के उपरांत न्यायालय जे.एम.एफ.सी.गोहद ने दिनांक : 23 / 04 / 2012 को थाना मौ को प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किये जाने एवं जांच प्रतिवेदन न्यायालय को प्रेषित किये जाने हेत् आदेशित किया गया। इस वावत श्री केशव सिंह जे.एम.एफ.सी. गोहद द्वारा दिनांक : 30 / 04 / 12 को थाना प्रभारी मौ को इस वावत् पत्र जारी किया गया। जिस पर से थाना मौ में, दिनांक : 08/05/2012 को आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 91 / 2012 अन्तर्गत धारा 420 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। अन्वेषण के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित की गई। आरोपीगण वेदराम, नवलिकशोर एवं रामनाथ को माननीय उच्च न्यायालय के एम.सी.आर.सी. क्रमांक 4851/2012 में पारित आदेश दिनांक : 26/07/2012 के अनुपालन में अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया। आरोपी क्रमांक 04 रामचरन को माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महादेय गोहद के जमानत आदेश क्रमांक 2614, में पारित आदेश दिनांक : 28 / 01 / 2014 के पालन में गिरफ़तार कर अग्रिम जमानत पर मुक्त किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण की विवेचना पूर्णकर आरोपीगण वेदराम, नवलकिशोर एवं रामनाथ की उपस्थिति में एवं आरोपी रामचरन को अभियोग पत्र प्रस्तुति के समय उपस्थिति वावत् सचूना पत्र देकर, सूचना के पश्चात् भी आरोपी रामचरन को अनुपस्थिति दर्शित करते हुए उनके विरूद्ध अभियोग पत्र अन्तर्गत धारा ४२०, ४६७, ४६८, ४७१ एवं 120 बी भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष दिनांक : 24 / 09 / 2015 को प्रस्तुत किया गया।

दिनांक : 24/09/2015 से दिनांक : 26/05/2017 तक आरोपी रामचरन की उपस्थिति के लिए निरन्तर विभिन्न आदेशिकाएं जारी की जाती रही, लेकिन उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकी और यह दर्शित हुआ कि वह अपनी उपस्थिति छिपाने के लिए फरार हो गया है। ऐसी दशा में आरोपी रामचरन को फरार घोषित कर उसका प्रकरण अन्य आरोपीगण के प्रकरण से पृथक कर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उसके विरुद्ध स्थाई वारंट दिनांक: 27/05/2017 को जारी किया गया।

उभय पक्ष को सुनने के बाद प्रकरण में अभियोजन द्व ारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से आरोपीगण के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी भा.द.सं. के अधीन आरोप विरचित करने के प्रथम दृष्ट्या उचित आधार प्रतीत होते हैं। उक्त अपराध की धारा 467, 468, 471 एवं 120 बी भा.द.सं. के विचारण का अधिकार अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय को प्राप्त है। अतः यह प्रकरण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिण्ड को उपार्पित किया जाता है।

अभियुक्तगण वेदराम, रामनाथ एवं नवलिकशोर प्रितिभूति पर मुक्त है। आरोपीगण को अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की प्रितिलिपियाँ धारा 207 द.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसार प्रदान की जा चुकी हैं। आरोपीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी नियत तिथि दिनांक: 24/07/2017 को आवश्यक रूप से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद, जिला—भिण्ड के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।

प्रकरण के कमिटल की सूचना जिला दण्डाधिकारी भिण्ड, लोक अभियोजक व अपर लोक अभियोजक व मालखाना नाजिर गोहद को प्रेषित की जावें।

पत्रावली संचित कर माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय भिण्ड के न्यायालय में भेजी जावे।

> पंकज शर्मा जे.एम.एफ.सी. गोहद